PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA
Dated the 24th July, 1965 as G.S.R.1011.

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STEEL AND MINES
(DEPARTMENT OF MINES & METALS)

....

G.S.R.1011
27.7.65

New Delhi: the 19th July, 1965
Asadha 28, 1887 Saka.

NOTIFICATION

No.1(17)/63-MII - In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely:-

1. (1) These rules may be called the Mineral Concession (Third Amendment) Rules, 1965.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Mineral Concession Rules, 1960 -

(i) in rule 4 -

(a) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) Every such application shall be accompanied by a fee of -

(a) five hundred rupees when a certificate of approval is applied for one year; or

(b) one thousand five hundred rupees when a certificate of approval is applied for three years." ;

(b) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:

"(4) Every such application shall be accompanied by a fee of -

(a) two hundred and fifty rupees, when a renewal of certificate of approval is applied for one year; or

(b) seven hundred and fifty rupees, when a renewal of certificate of approval is applied for three years ."

(ii) in rule 6, in sub-rule (1), for the words "A certificate of approval", the words "On an application being made in From A-2, a certificate of approval" shall be substituted;

P.T.O.

(iii) after rule 7, the following rule shall be inserted, namely:-

"7-A. Subject to the provisions of rules 4,5,6 and 7, and the applicant paying one thousand five hundred rupees for the grant of a certificate of approval of seven hundred and fifty rupees for the renewal thereof, in one instalment, a certificate of approval may be granted or renewed, as the case may be, for a period of three years." ;

(iv) in rule 16, for the words "one month", the words "three months" shall be substituted;

(v) in rule 22 -

(a) in sub-rule (2), for the words "six months" the words "twelve months" shall be substituted;

(b) in sub-rule (3), the following proviso shall be inserted after clause (ii), namely:

"Provided that the applicant shall deposit such further deposit as may be asked for by the State Government, within one month from the date of demand of such deposit." ;

(vi) in rule 24, in sub-rule (2), for the words "ninety days" the words "six months" shall be substituted.";

(vii) in rule 28, in sub-rule (1), for the words "six months" the words "twelve months" shall be substituted;

(viii) in rule 32 -

(a) after the words "terms and conditions of the lease", the words "a sum of one thousand rupees" shall be inserted; and

(b) clauses (a) and (b) shall be omitted;

(ix) in rule 37, in sub-rule (1-A), after the words "date of its receipt", the words "and, if it is not disposed of within that period, it shall be deemed to have been refused" shall be inserted;

(x) for rule 55, the following rule shall be inserted, namely:-

"(1) On receipt of an application for revision under rule 54, copies thereof shall be sent to the State Government and to all the impleaded parties calling upon them to make such comments as they may like to make within three months of the date of issue of the communication, and if no comments are received by the Central Govefnment within that period, it shall be presumed that the party which has omitted to make such comments or the State Government as the case may be, has no comments to make and the case may be decided by the Central Government ex parte.

(2) On receipt of the comments from any party under sub-rule(1), copies therefo shall be sent to the other parties calling upon such parties to make such further comments, as they may like to make within one month from the date of issue of the communication.

Contd....3.

(3) The revision application, the communications containing comments and counter-comments referred to in sub-rules (1) and (2) shall constitute the records of the case

(4) After considering the records referred to in sub-rule(3), the Central Government may confirm, modify or set aside the order or pass duch other order in relation there-to as the Central Government may deem just and proper.

(5) Pending the final disposal of an application for revision, the Central Government may, for sufficient cause, stay the execution of the order against which any revision application has been made." ;

(xi) in Schedule I,

(i) in Form A-1, in item 2, for the words and figures "Rs.500" the words and figures "Rs.500/1500" shall be substituted.

(ii) in Form A-2 -

(a) in item 2 for the words and figures "Rs.250" the words and figures "Rs.250/750" shall be substituted ;

(b) in item 3, sub-clause (b) of clause (iv) shall be omitted.

Sd/-
(H.S. Sahni)
Under Secretary to the Govt. of India.

(काले राजपत्र के भाग २ खण्ड ३(अनुखण्ड १)में प्रकाशन के लिए)

भारत सरकार

इस्पात तथा खान मंत्रालय

(खान तथा धातु विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक १६ जुलाई १६६५

२८ आसाढ़ १८८७ शक

अधिसूचना

संख्या १(१७)६३ खान २ - खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम १६५७ (१६५७ का ६७) की धारा १३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार खनिज रियायती नियम १६६० को और भी संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात :-

१- (१) इन नियमों को खनिज रियायती (तीसरा संशोधन) नियम १६६५ कहा जाय ।

(२) यह तुरन्त लागू होगें ।

२- खनिज रियायती नियम १६६० में -

(१) नियम ४ में -

(क) उप नियम (२) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम पढ़ा जाय- अर्थात,

(२) इस प्रकार के हर आवेदन पत्र के साथ शुल्क भेजा जायगा-

(क) पांच सौ रुपये जबकि अनुमोदन-प्रमाण-पत्र एक साल के लिए मांगा जाय ; या

(ख) एक हजार पांच सौ रुपया जबकि अनुमोदन-प्रमाण-पत्र तीन साल के लिए मांगा जाय । ;

(ख) उप नियम ४ के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम पढ़ा जाय अर्थात-

(४) इस प्रकार के हर आवेदन पत्र के साथ शुल्क भेजा जायगा-

(क) ढाई सौ रुपया जबकि अनुमोदन -प्रमाण-पत्र एक साल के लिए नवीकरण के लिए मांगा जाय; या

(ख) सात सौ पचास रुपये जबकि अनुमोदन प्रमाण-पत्र तीन साल के लिए नवीकरण के लिए मांगा जाय ।

(२) नियम ६ के उप नियम १ में ' अनुमोदन प्रमाण-पत्र ' शब्दों के स्थान पर ' अनुमोदन प्रमाण-पत्र के लिए फार्म ए-२ में आवेदन पत्र दिए जाने पर ' पढ़ा जाय ;

---------२

(३) नियम ७ के बाद निम्नलिखित नियम और जोड़ा जायगा अर्थात् :-

" ७-१ नियम ४, ५, ६, और ७ के उपबंधों के अधीन रहते हुए तथा " अनुमोदन -प्रमाण-पत्र की मंजूरी के लिए एक हजार पांच सौ रुपया या उसके नवीकरण के लिए सात पचास रुपये आवेदक द्वारा एक किश्त में अदा करने पर, अनुमोदन प्रमाण-पत्र तीन साल की अवधि के लिए का प्रदान या उसका नवीकरण, जैसा भी हो, किया जा सकेगा ",

(४) नियम १६ में " एक माह " शब्दों के स्थान पर " तीन माह " शब्द पढ़े जांय ;

(५) नियम २२ में -

(क) उप नियम २ में " छः माह " के स्थान पर " बारह माह " पढ़ा जाय ;

उप नियम ३ में खण्ड २ के बाद निम्नलिखित उपबन्ध जोड़ा जाय ;

अब नियम ३ में खण्ड २ के बाद निम्नलिखित उपबन्ध जोड़ा जाय अर्थात् -

" शर्त यह होगी कि आवेदक को राज्य सरकार द्वारा मांगी गई अतिरिक्त रकम मांगने की तिथि से एक माह के अन्दर जमा करानी होगी "।

(६) नियम २४ उप नियम २ में " नब्बे दिन " शब्दों के स्थान पर " छः माह " पढ़ा जाय । "

(७) नियम २८ के उप नियम १ में " छः माह " शब्दों के स्थान पर " बारह माह " पढ़ा जाय ।

(८) नियम ३२ में-

(क) " पट्टे के निबंधन और प्रतिबंध " शब्दों के बाद " एक हजार रुपये की रकम " शब्द जोड़े जाय , तथा

(ख) खण्ड क और ख छोड़ दिये जाए ,

(९) नियम ३७ के उप नियम १-१ में " प्राप्त होने की तिथि " शब्दों के बाद यह शब्द " और यदि वह इस अवधि में न निपटाई जाय तो उसे अस्वीकृत हुआ मान लिया जायगा । " जोड़ दिये जाय ।

(१०) नियम ५५ की जगह निम्नलिखित नियम जोड़ दिया जाय अर्थात् :-

(१) नियम ५४ के अधीन पुनरीक्षा के लिए आवेदन पत्र होने पर उसकी प्रतिलिपियां राज्य सरकार एवं समस्त सम्बंधित पदाकारों के पास इस निर्देश के साथ भेजी जायेगी कि वे पत्र जारी होने की तिथि से ३ माह के अन्दर जो भी टिप्पणी करनी चाहे

------३

भेज दें और यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अवधि में कोई भी टिप्पणी नहीं प्राप्त की जाती है तो यह मान लिया जायगा कि जिस पक्ष ने कोई भी टिप्पणी नहीं की है या राज्य सरकार जैसा भी हो, को कोई भी टिप्पणी नहीं करनी है और केन्द्रीय सरकार द्वारा बाद का इकतरफा फैसला किया जा सकेगा ।

(२) उप नियम १ के आधीन किसी पक्ष से टिप्पण प्राप्त होने पर उसकी प्रतिलिपियां दूसरे पक्षों को इस निर्देश के साथ भेजी जायेगी कि वह पत्र जारी होने की तिथि के एक माह के अन्दर जो भी अतिरिक्त टिप्पणियां भेजना चाहे भेज दें ।

(३)पुनरीक्षा का आवेदन पत्र, तथा वे पत्र जिनमें टिप्पण तथा विपरीत टिप्पण जिनका उल्लेख उप नियम १ और २ में किया गया है, विषय का अभिलेख स्थापित करेंगे ।

(४) उप नियम ३ में उल्लिखित अभिलेख पर विचार करने के बाद केन्द्रीय सरकार का पुष्टिकरण संशोधन या निराकरण कर सकती है अथवा वह जिसे न्यायसंगत एवं उचित समझे ऐसा अन्य आदेश दे सकती है ।

(५) पुनरीक्षा आवेदन पत्र के अन्तिम निपटारे के होने तक केन्द्रीय सरकार पर्याप्त कारण होने पर उस आदेश के क्रियान्वयन को, जिसके विरूद्ध पुनरीक्षा आवेदन पत्र दिया गया है, रोक सकती है ।

(११) अनुसूची १ में,

(१) फार्म ए-१ में दूसरे पद में, " ५००) रुपया " के शब्दों और आंकड़ों के स्थान पर " ५०० । १५०० रुपये " के शब्द और आंकड़े पढ़े जाय ।

(२) फार्म ए-२ में

(क) पद दो में " २५० रुपये " के शब्दों और आंकड़ों के स्थान पर " २५० । ७५० रुपये " पढ़े जाय ।

(ख) पद ३ में खण्ड ४ का उप खण्ड (बी) छोड़ दिया जाय ।

ह० । एच० एस० साहनी

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में -

प्रबन्धक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिन्टो रोड़,
नई दिल्ली ।